Director (I&C) - Both Pre Revised & 7th CPC.

(2)

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Staff Car Driver (Grade-I) in the Pay Band-1, Rs.5200-20200 plus Grade Pay Rs.2800 with six year's regular service in the grade. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service **Note 2:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission. **Training** One week training for operation and maintenance of vehicle (Refresher Course) from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.	**Group'B' Departmental Promotion/confirmation Committee consisting of:** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman. 2. Director (Administration), Central Ground Water Board - Member 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member. 4. An officer of another Central Government Department not below the rank of Scientist-C / Executive Engineer, Central Ground Water Board – Member.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F.No. 21/09/2010-CGWB]
VINEETH ABRAHAM, Under Secy.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 61— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (सूचना एंव संचार) (राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोज़ना) भार्ती नियम 2005 को उन बातों के सिवाएं अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में निदेशक (सूचना और संचार) (राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरी परियोजना) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम –पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (सूचना और संचार) राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरी नियम 2016 हैं।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख परियोजना को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण, उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

File No. A-12025/4/2022-Estt(Hqrs.) (Computer No. 23051)
Generated from eOffice by Himanshu Agarwal, (ASO) ADMIN_1-DADF, ASO, DADF-DEPARTMENT on 27/08/2025 11:54 am

(3)

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट है।

4. **निरर्हता.**– वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी की जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.** —जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.** —इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछडे वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
निदेशक (सूचना और संचार) (राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मानीटरी परियोजना)	01* (2016) *कार्य-भार के आधार पर परिर्वतन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड-3 - 15600-39100 रु. +ग्रेड वेतन 7600 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति के द्वारा जिसके अतंर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है।

File No. A-12025/4/2022-Estt(Hqrs.) (Computer No. 23051)
Generated from eOffice by Himanshu Agarwal, (ASO) ADMIN_1-DADF, ASO, DADF-DEPARTMENT on 27/08/2025 11:54 am

(4)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिक/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तिक/आमेलन किया जाएगा।
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्प कालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या कृषि विश्वविद्यालयों के अधीन ऐसे अधिकारी : (क) (i) "जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं : या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग/विभाग में वेतन बैंड-3, रु. 15600-39100, ग्रेड वेतन 6600 के साथ या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरान्त उसी ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं और अनुभव हों :- (i) समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में सूचीबद्ध है। पशुचिकित्सा डिग्री अर्हता। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा, विरोलाजी/बैक्टीरियोलाजी/माइक्रोबायलों इम्युनोलाजी/औषधि में स्नात्कोत्तर डिग्री । (iii) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद/राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के पशुचिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण (iv) किसी सरकारी विभाग/स्वशासी या कानूनी पब्लिक सेक्टर उपक्रम/अर्ध शासकीय/संगठन विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से पशुप्लेग उन्मूलन के विशेष सदर्भ में पशुधन रोग निदान/ रोग नियंत्रण तथा उन्मूलन क्रियाकलापों का 12 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, की अवधि है साधारणतया 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है, द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार की गई सेवा को, सिवाए उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. ए.12018/4/2014-प्रशासन-I]

ललित ग्रोवर, अवर सचिव

(3)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 18th April, 2016

G.S.R.61.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Director (Information and Communication)(National Rinderpest Eradication Project) Recruitment Rules, 2005 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director (Information and Communication)(National Project on Rinderpest Surveillance and Monitoring) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, in the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, namely. -

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Director (Information and Communication)(National Project on Rinderpest Surveillance and Monitoring) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale.** -The number of post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualification.** - The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to be said post shall be as specified in column (5) to (13) of the aforesaid said Schedule.

4. **Disqualification.** - No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.** - Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether Selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Director (Information and Communication) (National Project on Rinderpest Surveillance and Monitoring).	01*(2016) (*Subject to variation depending on workload.)	General Central Service Group "A" Gazetted Non-Ministerial	PB-3, Rs.15600-39100 + Grade Pay 7600	Not Applicable.	Not applicable.	Not applicable.

File No. A-12025/4/2022-Estt(Hqrs.) (Computer No. 23051)
Generated from eOffice by Himanshu Agarwal, (ASO) ADMIN_1-DADF, ASO, DADF-DEPARTMENT on 27/08/2025 11:54 am

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, the grades from which promotion or deputation / absorption to be made.
(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable	Not applicable	By Deputation. (Including short-term contract)	**Deputation (including short-term contract):** Officers under the Central or State Governments or Union Territories Administrations or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies or Statutory Organizations or Indian Council of Agricultural Research or Agricultural Universities:- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Pay Band-3 Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.6600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Veterinary Degree qualification listed in the First and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 as amended from time to time. (ii) Masters Degree in Veterinary Science in Veterinary Virology or Bacteriology or Microbiology or Immunology or Medicine from a recognized University or Institute (iii) Registration with the Veterinary Council of India or Veterinary Council of the States or Union Territories. (iv) Eight (8) years' experience in livestock diseases diagnosis or disease control and eradication activities with particular reference to rinderpest eradication from Government Department or Autonomous or Statutory Organization or PSU or Semi-Government Organization or University or Recognized Research Institute. (Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application). **Note:** For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 and the date from which the revised pay structure based on the VI Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any up-gradation.

(7)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. A. 12018/4/2014-Admn.I]

LALIT GROVER, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

151454/2022/ADMIN_1-DADF

Director (I &C) (8)

नई दिल्ली, 21 जून, 2017

सा.का.नि. 227.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (सूचना और संचार) (राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मॉनीटरी) नियम, 2016 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (सूचना और संचार) (राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मॉनीटरी), भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, निदेशक (सूचना और संचार राष्ट्रीय पशुप्लेग निगरानी और मॉनीटरी नियम, 2016 में,-

(1) नियम 2 में , "वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं दोनों स्थानों में 'वेतन मैट्रिक्स में स्तर 'शब्द रखें जाएंगें;

(2) अनुसूची में,-

(क) स्तंभ (4) में,-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्:-

'वेतन मैट्रिक्स में स्तर',

(ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

'वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)' ,

(ख) स्तंभ (II) में, पैरा (क) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-II "(67700-208700 रु.) में या समतुल्य पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है; और"।

[फा. सं. ए. 12018/3/2016-प्रशा.I]

ललित ग्रोवर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (i), तारीख 23 अप्रैल, 2016 में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 61 तारीख 18 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 21st June, 2017

G.S.R. 227.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries, Director (Information and Communication)(National Project on Rinderpest Surveillance and Monitoring) Rules, 2016, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Director (Information and Communication)(National Project on Rinderpest Surveillance and Monitoring) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

File No. A-12025/4/2022-Estt(Hqrs.) (Computer No. 23051)
Generated from eOffice by Himanshu Agarwal, (ASO) ADMIN_1-DADF, ASO, DADF-DEPARTMENT on 27/08/2025 11:54 am

(9)

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries,Director (Information and Communication) (National Project on Rinderpest Surveillance and Monitoring) Rules, 2016, —

(1) inrule 2, for the words "pay band and grade pay or pay scale" in both the places where they occur, the words "the level in the pay matrix" shall be substituted;

(2) in the schedule, -

(a) in column (4), -

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix";

(ii) for the entries, the following entriesshall be substituted, namely:-

"Level-12 in the pay matrix (Rs.78800-209200)";

(b) In column (11), for para (a), the following para shall be substituted, namely:-

"(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 11 (Rs.67700-208700) of pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and".

[F. No. A.12018/3/2016-Admn.I]

LALIT GROVER, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section3, Sub-section(i) dated the 23rd April, 2016 vide notification number G.S.R. No.61, dated the 18th April, 2016.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

सा.का.नि. 228.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (श्रेणी I और श्रेणी II पद) भर्ती नियम, 1964, को जहां तक उनका संबंध ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी श्रेणी II (डिजाइन) के पद से है, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर, में ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइन) के पद पर भर्ती की पद्धति का नियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (डिजाइन) (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

File No. A-12025/4/2022-Estt(Hqrs.) (Computer No. 23051)
Generated from eOffice by Himanshu Agarwal, (ASO) ADMIN_1-DADF, ASO, DADF-DEPARTMENT on 27/08/2025 11:54 am